न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 27 / 2023(GCMS 2023/143)

विदुषी पत्नि प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी 11, 12 ए ब्लॉक, श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

— आवेदक / प्रार्थी

बनाम

1. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर** जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर**
3. **भारत संघ** जरिये (MORTH) Ministry of Road Transport Authority न्यू दिल्ली।
4. **परियोजना निदेशक**, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

— अनावेदकगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि भारत माला सडक परियोजना के तहत चक 1 एफए तहसील श्रीकरणपुर के मु.न. 31 के किला न0 6,7,12,13,14,15,18,19,20,21 व 22 में भूमि सडक हेतु अवाप्त की गई है चक 1 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर के खाता सं. 107 / 89 के मु.न. 31 के किला न. 6 की 0.227 हैक्टेयर किला न. 7 ता 9 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नं. 10 / 1 के 0.0500 हैक्टेयर किला नं. 10 / 2 के 0.0380 हैक्टेयर कुल 1.0740 हैक्टेयर नहरी भूमि जो आवेदक के नाम से थी, में से किला न. 6, 7 भारत माला परियोजना पैकेज 6 (पार्ट-1) के अन्तर्गत अवाप्त की गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

और इस भूमि के मुआवजे का अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को जारी किया गया है तथा गांव 1 एफए के क्रम संख्या 59, 60, 61 व 62 पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित कर आवेदिका को दिया जाना तय किया गया है वह वर्तमान बाजार मूल्य के लिहाज से बहुत कम निर्धारित की गई है जिसके लिए आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) (5) के अन्तर्गत श्रीमानजी के समक्ष यह आवेदन पत्र निर्धारित मुआवजा राशि 11,56,031.03 / — के विरूद्ध पेश की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पंचाट से जो मुआवजा राशि निर्धारित की है वह भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 की पूर्ण पालना न कर निर्धारित की गई है, जो अत्याधिक कम निर्धारित की है जिसे बढाये जाने की प्रार्थना की हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने में केवल धारा 26 की उपधारा 1 के खण्ड ए के अनुसार भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई केवल डीएलसी दर के आधार पर भूमि का बाजार मूल्य तय करने में सख्त गलती की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 की उपधारा 1 के खण्ड बी के आधार पर अवाप्त की जाने वाली भूमि के समीप्य इसी भूमि के समान दूसरी भूमि के जो विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाये गये है जो भूमि अवाप्ति अधिसूचना [illegible] से पूर्व के उसी समय के है, की जानकारी उपपंजीयक [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि के पंजीयन अधिकारी से डी.एल.[illegible] दर की मांग के साथ—साथ अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की जाने वाली भूमि के सामानान्तर उसी समय के 3 वर्षों के अन्दर के विक्रय पत्रों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी तथा Highest sale price को कंसीडर किया जाना चाहिये था परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ऐसा न कर जो पंचाट में मुआवजा निर्धारित किया गया है वह मुआवजा राशि का सही परिपेक्ष में निर्धारण नहीं है तथा बाजार मूल्य से अत्याधिक कम निर्धारित किया गया है इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि का बाजार मूल्य सही निर्धारित नहीं किया है, जो कानूनन गलत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.10(112) नविवि / 3 / 2010 जयपुर दिनांक 16.07.2010 के अनुसार राजस्व ग्राम 13 ओ, 20 ओ, 19 ओ, 17 ओ, 46 एफ, 1 एफ ए, 2 एफ ए, 5 एफ ए, 12 ओ, 16 ओ को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है तथा इस मास्टर प्लान का दिनांक 17.01.2012 को अनुमोदन किया गया है ऐसी स्थिति में अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य काफी बढ़ जाता है जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कोई विचार नही किया है और ना ही रकबा मास्टर प्लान में आने के कारण अतिरिक्त राशि जोडी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदिका की भूमि श्रीकरणपुर नगरपालिका के नगरीय क्षेत्र की परिधि में है **तथा श्रीकरणपुर के नगरीय मास्टर प्लान की भूमि है यह भूमि श्रीकरणपुर के नगरपालिका क्षेत्र में श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सड़क पर स्थित** है और इस सटे क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और पीएनपीडी रवज्योत इंटरनेशनल स्कूल भी चल रहा है जिसके कारण इस क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए खरीददार हमेशा इच्छुक रहते है। अधिग्रहण की गई भूमि ... है यह भूमि शहर के निकट है और भूमि सिंचित है सिंचाई के ... है यह तीन फसलो के लिए उपयुक्त है इसलिए मुआवजा राशि ... जानी चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संभावित मूल्य वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया है आवेदिका को कम मुआवजा दिलाया है जिससे आवेदिका के साथ इंसाफ नही हुआ है ऐसी सूरत में अवार्ड में संशोधन कर मुआवजा राशि बढ़ाकर बढ़ा हुआ मुआवजा दिलाया जाना आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि से जुड़ी हुई परिसम्पतियां पेड़ पौधे, खड़ी फसले व भूमि में किये गये सुधार, नलकूप वगैरा की कोई राशि पंचाट मे शामिल नहीं की है जबकि धारा 26 के अधीन भूमि के मूल्य में पेड़ पौधे व खड़ी फसले शामिल है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदिका की जो भूमि अवाप्त की गई है, का मूल्यांकन इंजीनियर व रजिस्टर्ड वेल्यूर जसवंत सिंह धींगड़ा द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 को दी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कम्पनसेशन 5,07,599.01/—रूपये निर्धारित किया गया है जबकि मार्किट वेल्यू के अनुसार कम्पनसेशन की राशि 27,91,399.70/— रूपये बनती है इसलिए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 22,83,800/—रूपये कम राशि आवेदक की निर्धारित की है, भूमि बंद हो जाने के कारण आवेदिका को 20,59,000/— रूपये का नुकसान हुआ है इस प्रकार कुल 43,42,000/— रूपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि आवेदिका को दिलाई जानी आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदिका की 1.0740 हैक्टेयर भूमि में से 0.2368 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है शेष भूमि 0.8372 हैक्टेयर किला नं. 6 से 8 की भूमि बंद है जिसमें कोई मुक्त आवाजाही नही हो सकती है चूंकि सड़क आवेदिका की भूमि मे [illegible] की तरह हो जाती है भूमि की दर सेवरेंस एवं Land loc[illegible] बाजार मूल्य 60 प्रतिशत तक कम हो जावेगा, जिसके सम्बन्ध मे आवेदिका को अतिरिक्त मुआवजा दिलाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि 1 एफए के सम्बंधित काश्तकारों के प्रार्थना पत्र व ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में प्रस्ताव द्वारा डीएलसी रेट एवं उचित बाजार भाव अंकित किये गये है जो कि सरपंच व विडियो द्वारा चक 1 एफए के बाजार मूल्य का सत्यापन किया है यह जिसके अनुसार चक 1 एफए मोघे के पास बाजार भाव 41,00,000 /—रुपये प्रति बीघा मोघे के मध्य 37,00,000 /— रूपेय टेल पर 49,00,000 /— रुपये अंकित है इसलिए मुआवजे का **निर्धारण सरपंच द्वारा जारी उक्त सूची के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिये।**

उनका आगे यह भी कथन है कि आवेदिका द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है जिसके सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2022 को 5,07,599 /—रू राशि का आरटीजीएस आवेदिका के पक्ष में करवाया गया है। अवार्ड में निर्धारित राशि के सम्बन्ध में सूचना दो अखबार में प्रकाशित की जानी आवश्यक है जो कि नहीं की गई है और ना ही आवेदक को इस सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया है आवेदिका द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2022 को 5,07,599 /— रु आरटीजीएस से भुगतान किया जिसके बाद जिसके बाद आवेदक द्वारा डीएलसी की दरो की नकले प्राप्त की, फिर सरंपच से बाजार दर की नकले प्राप्त की तथा इंजीनियर वैल्यूर जसवंत सिंह धीगडा से रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 को प्राप्त की, दीवार व पेड़ो की राशि 2,69,773 /—रू दिनांक 10.03.2023 का भूमि अवाप्ति द्वारा अदा की गई है, जिससे आवेदिका को पूर्ण नुकसान की जानकारी हुई। इसलिए भूमि अधिग्रहण अवार्ड दिनांक 26.05.2021 में आवेदिका को जो भूमि का मुआवजा राशि 50[illegible]99.0[illegible] /—रूपये निर्धारित की है वह अत्याधिक कम होने के कारण उसे राशि [illegible] किया जावे तथा 43,42,000 /— रूपये के अतिरिक्त राशि दिलायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 34.500 कि.मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सेक्शन) के निर्माण (चौडा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिये भूमि अवाप्त करने हेतु **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 02.04.2018 व 31.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 1 एफ.ए. के मुरब्बा नम्बर 31 के कि.नं. 6, 7 व 8 में से नहरी / सिंचित भूमि अवाप्त की गई। उक्त अधिसूचनाओ का प्रार्थी / भू–हितधारी को सूचित करने के लिए **दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आपत्तियां आमन्त्रित की गयी,** जिन भू–हितधारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सुनवाई बाद निस्तारण किया गया। प्रार्थी द्वारा माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष कोई आपत्ति की प्रति पेश नही की गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अवाप्त नहरी / सिंचित भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित करने बाबत् **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक 11.04.2018 को नहरी / सिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित **दर 7,45,560 / –रू. प्रति हैक्टेयर** को उपयोग में लेकर **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और** पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार **अधिनियम, 2013** की धारा 26 सहित अन्य प्रावधानों के अनुसार अवाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नहरी कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया गया है, जिसकी मुआवजा राशि भी प्रार्थी द्वारा प्राप्त / स्वीकार कर ली गई है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही है, लेकिन प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि के निर्धारण में **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और** पुर्नव्यस्थापन **में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के लागू प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के सबंध में मिथ्या एवं बेबुनियाद कथन करते हुए श्रीमानजी को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया है, जबकि उक्त अवार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजा राशि के निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं की है तथा **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** व **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और** पुर्नव्यस्थापन **में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के लागू प्रावधानों का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त भूमि अवार्ड पारित कर दिये जाने के पश्चात् प्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कर यह प्रार्थना पत्र माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, परन्तु फिर भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने पत्रावली पर पंजीकृत पते के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और** पुर्नव्यस्थापन **में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के लागू प्रावधानों के अनुसार धारा 26(1) के तहत निर्धारित बाजार मूल्य के अलावा भी धारा 26(2) के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के तहत फैक्टर 1.25 का लाभ, धारा 30(1) के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि व धारा 30(3) के अनुसार भूमि के मूल बाजार मूल्य पर अवार्ड पारित होने तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि/ब्याज स्वरूप प्रार्थी के हित में मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा नियमानुसार निर्धारित मुआवजा राशि को कम बताकर मिथ्या एवं बेबुनियाद आधारो पर माननीय महोदय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्येक भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गठित की गई जिला स्तरीय समीति द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्रों व अन्य दस्तावेजों/स्थितियों इत्यादि के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिस ग्राम की जिस किस्म की भूमि है, उसका बाजार मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य निर्धारित करने से पूर्व बैचान पत्रों के साथ भूमि की, [illegible] दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के [illegible] 58 [illegible] अनुसरण में किया जाता है, ऐसी स्थिति में यह नही [illegible] बाजार मूल्य व डी.एल.सी. दर में किसी प्रकार की भिन्नता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा ही बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जो कि वास्तविक बाजार मूल्य कहलाता है। **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** की धारा 26(1) के अनुसार अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण भी बाजार मूल्य के अनुसार ही किया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) ने जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य को उपयोग में लेते हुए ही प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर के अनुसार अवाप्त भूमि की अधिकतम मुआवजा राशि का निर्धारण प्रार्थी के हित में विधि अनुसार किया है, इसलिये प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन व मिथ्या आधारों पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि नगरपालिका क्षेत्र / मास्टर प्लान के भीतर स्थित कृषि भूमि, कृषि ही रहती है और उनकी दरे नगरपालिका द्वारा तय नही की जाकर राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है, चाहें भूमि नगरपालिका क्षेत्र / मास्टर प्लान के अन्दर / बाहर स्थित हो। हस्तगत प्रकरण में **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के समय नहरी / सिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 7,45,560 / –रू. प्रति हैक्टेयर के अनुसार ही प्रार्थी की अवाप्तधीन मुआवजा राशि का निर्धारण करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) द्वारा [illegible] किया गया है, जो कि नियमानुसार है। अतः मास्टर प्लान [illegible] किये कथनो का प्रार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर के अनुसार किया जाता है, ना कि भविष्य को देखते हुए मुआवजा निर्धारित किया जाता है। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** व **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के लागू प्रावधानों के अनुसार मिलने वाले समस्त लाभ यथा प्रचलित दर, कारक, सोलेशियम राशि, 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि, ब्याज के रूप में प्रार्थी को दी गई है। इसलिए प्रार्थी अब अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के संबंध में दायर किया है, ना कि अवाप्तधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में दायर किया गया है। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956** की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी होने से पूर्व अवाप्त भूमि पर स्थित पेड़ों की मुआवजा राशि का पृथक से प्रार्थी के हित में परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया जा चुका है। अवाप्तधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना की तत्समय की स्थिति के अनुसार किया जाता है और उक्त धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा से अवाप्त भूमि पर रोपित नये पेड़–पौधों का कानूनन मुआवजा नही दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा जारी अवाप्तधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से चुनौती नही दी है, इसलिये अवाप्तधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों यथा पेड पौधो के संबंध में कहे गये कथन इस प्रकरण में विचारणीय ही नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय प्रचलित दर के अनुसार किया जाता है और तदनुसार ही प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने हेतु धारा 3ए की अधिसूचना को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 7,45,560/—रु. प्रति हैक्टेयर उपपंजीयक से प्राप्त की गई, जिसका अवलोकन करने के उपरान्त ही उपयोग में लेकर अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार है। प्रार्थी ने स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुँचाने की नीयत से राशि 69,66,000/—रु. की अवैधानिक मांग की गई है, जो कि कतई स्वीकार व देय नही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवार्ड में निर्धारित मुआवजा राशि के अतिरिक्त प्रार्थी अन्य कोई मुआवजा राशि अब प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्तधीन भूमि के संबंध में स्वतंत्र सलाहकार (Independent Consultant) व तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक मशीनों की मदद से राष्ट्रीय राजमार्ग का अलाइनमेंट एवं भूमि अवाप्ति प्लान बनाया गया है, जिसका सक्षम स्तर पर अनुमोदन किया गया है, जिसकी अक्षरशः पालना करते हुये भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार ही सडक निर्माण का कार्य किया जाता है। अवाप्ति से होने वाली क्षतिपूर्ति बाबत् प्रार्थी को भूमि के मूल्य के अलावा भी 100 प्रतिशत [illegible] सोलेशियम राशि, फैक्टर राशि, 12 प्रतिशत अतिरिक्त/[illegible] दी गई है, जिससे प्रार्थी के हितों की रक्षा होती है। भूमि अवाप्ति से प्रार्थी की शेष भूमि का बाजार मूल्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कम नही हुआ है बल्कि भारतमाला के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने से प्रार्थी की शेष भूमि दोनों ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने से भविष्य में बाजार मूल्य में वृद्धि होने की पूरी–पूरी संभावना हो गई है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति से प्रार्थी को कोई नुकसान नही होकर फायदा ही हुआ है। प्रार्थी अपनी शेष भूमि पर नियमानुसार कार्य करने हेतु स्वतंत्र है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवधारित राशि को प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति उक्त मद में कर ली गई है। अंडर प्रोटेस्ट मुआवजा राशि प्राप्त करने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी दशा में यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवधारित मुआवजा राशि स्वीकार है, लेकिन फिर भी प्रार्थी ने बिना अधिकारों के यह प्रार्थना पत्र माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व दावा/क्लेम आमन्त्रित करने बाबत् प्रार्थी/हिताधारी को सूचित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गयी तथा इस संबंध में प्रार्थी/हितधारी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये जाने के कोई प्रावधान अधिनियम 1956 में नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली, उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर [illegible] में [illegible]माला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर [illegible] माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर –रायसिंहनगर के दो/चार [illegible]पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3A. Power to acquire land, etc, -**
>
> (1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.
>
> **(3)** The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 2 बिन्दु संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 1. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार, काश्तकार/पक्षकारान अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में यदि उनका कोई दावा/आक्षेप हो तो, वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रभावित खातेदारों की ओर से प्राप्त 09 आपत्तियों को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्राप्त [illegible] की जाकर निस्तारण किया गया।
> 2. **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की [illegible] 3(डी) के तहत भूमि अवाप्ति की अधिसूचना [illegible] का दिनांक 31.08.2018 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग [illegible]ीय खण्ड तीन उपखण्ड (ii) में प्रकाशन किया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. **Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section**
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections

   Explanation : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in cluase (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)
3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 26.05.2021 जारी होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा आपत्तिया पेश की गई है, जबकि प्रार्थी को अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को प्रकाशित करवाया गया। अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिनों में, काश्तकारों को अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में अपना आक्षेप हो तो वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के [illegible], जबकि प्रार्थी ने अपना आक्षेप अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के [illegible] समयावधि के पश्चात पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का [illegible] प्राधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में उनकी आपतियों का निस्तारण नहीं किया [illegible], स्वीकार करने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 (पूरक) में पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 5 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारक (Factor) से गुणित किया गया है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड)(i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प–1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। अवार्ड निर्धारण में आने वाले ग्राम (1) 1FA (2) 12 O (3) 46 F में कारक (Factor) 1.25(0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44 F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B (8) 9W में कारक (Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।
4. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के उक्त आ[illegible] स्पष्ट है कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा [illegible] की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरू[illegible] मुआवजा [illegible] का निर्धारण किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

(signature)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन / मार्गदर्शिका / 2015 / पार्ट / 4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन की उसे दी गई मुआवजा रजिस्टर्ड वेल्यूर जसवंत सिंह धींगड़ा / सरपंच की रिपोर्ट के अनुसार पुनः मुआवजा राशि निर्धारित किया जावे, सही नहीं है। **अतः प्रार्थी का** रजिस्टर्ड वेल्यूर जसवंत सिंह धींगड़ा / सरपंच की रिपोर्ट के आधर पर **पुनः मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज / 6 / 2011 / पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप–धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6 / 2011 / पार्ट / 13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण – जयपुर, जोधपुर व [illegible] के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षे[illegible]ों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम / नगर परिषद / [illegible] पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के [illegible]र्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र/मास्टर प्लान में हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि पर ब्याज की गणना की है तथा भूमि की मुआवजा राशि पर सोलेशियम जोड़ा है। प्रार्थी ने सोलेशयिम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज से मांग की है, जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 30(1) और 30(3) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

30. (1) The Collector having determined the total compensation to be paid, shall, to Award of arrive at the final award, impose a **"Solatium"amount equivalent to one hundred per cent.** of solatium. the compensation amount. Explanation.-For the removal of doubts it is hereby declared that solatium amount shall be in addition to the compensation payable to any person whose land has been acquired.

(3) In addition to the market value of the land provided under section 26, the Collector shall, in every case, award an amount calculated at the rate of twelve per cent. per annum on such market value for the period commencing on and from the date of the publication of the notification of the Social Impact Assessment study under sub-section (2) of section 4, in respect of such land, till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि व धारा 30(3) के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य पर अवार्ड पारित होने तक, 12 प्रतिशत ब्याज स्वरूप राशि दिये जाने का प्रावधान है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्जाज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:22 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर